कार्यालय आयुक्त,उद्योग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राज0 जयपुर–5

निर्यात प्रोत्साहन, प्रकिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. प्रस्तावना:–

राज्य में लगभग 3000 निर्यातक इकाइयों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। राज्य से टैक्सटाईल्स, जैम एण्ड ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट्स, डाइमेंशनल स्टोन्स, केमिकल, कारपेट्स, रेडीमेड गारमेंट्स एवं इंजीनियरिंग इत्यादि वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर,, भिवाड़ी, अलवर, सीकर, बीकानेर,, पाली, बाड़मेर इत्यादि प्रमुख निर्यातक केन्द्र है। राज्य से लगभग 19000 करोड़ रूपये मूल्य का प्रतिवर्ष निर्यात किया जा रहा है।

राज्य के उद्योग विभाग में निर्यात संवर्द्धन प्रकोष्ठ कार्यरत है। प्रकोष्ठ द्वारा राज्य में, राज्य एवं संभागीय स्तर पर, निर्यात प्रोत्साहन, प्रकिया एवं दस्तावेजीकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे है, जिन्हें राज्य के निर्यात संभावना वाले जिलों में जिला स्तर पर भी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि जिलों में स्थित औद्योगिक संघों के पदाधिकारी एवं निर्यातक इकाइयों के प्रतिनिधि संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के सानिध्य में इस विषयक जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें व इससे राज्य के निर्यात में वृद्धि संभव हो सके। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य एवं संभागीय स्तर पर भी आयोजित किये जा सकेंगे।

2. उद्देश्य:–

राज्य के ऐसे उद्यमी, जो कि निर्यात प्रकिया, दस्तावेजों एवं मार्केट की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का निर्यात नहीं कर पाते हैं एवं बिचोलियों के माध्यम से अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, ऐसे उद्यमियों को इस विषयक

जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन, प्रकिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित कराये जाते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यकम विद्यमान निर्यातकों की क्षमता संवर्धन एवं उन्हें नये बाजारों की जानकारी प्रदान करने में भी सहायक होते हैं।

3. कार्ययोजनाः–

भारत सरकार की मार्केट असेस इनीशिएटिव स्कीम में निर्यातकों की क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा भी अपने बजट में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यकम के तहत जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ऐसे प्रशिक्षण के लिए 35 से 40 उद्यमियों/प्रशिक्षणार्थियों की पहचान की जायेगी तद्उपरांत ऐसे प्रशिक्षण के लिए निर्यात क्षेत्र के विशेषज्ञों/एजेन्सी का चयन कर, ये प्रशिक्षण कार्यकम जिला स्तर पर आयोजित कराए जाऐंगे। निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नये उद्यमियों एव विद्यमान निर्यातकों की क्षमता संवर्धन के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यकम में, तकनीकी प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, नये विदेशी बाजारों की पहचान आदि का, प्रशिक्षण/जानकारी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के निर्यात से संबंधित संस्थानों/एजेन्सियों एवं निजी निर्यात/प्रबन्ध संस्थाओं, के माध्यम से दिया जा *सकेगा।*

वर्ष 2012–17 से प्रतिवर्ष राज्य के निर्यात संभावना वाले जिलों में जिला स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यकम राज्य एवं संभागीय स्तर पर भी आयोजित किये जा सकेंगे।

Shr... 25/11/11

4. बजट प्रावधान:–

निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र को प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षण 75000/– रूपये का बजट आवंटित एवं रिलीज किया जायेगा, जिसका उपयोग निम्न प्रयोजनों हेतु किया जा सकेगा :–

क.सं.	मद	संभावित खर्चा	विशेष
1.	प्रशिक्षणार्थियों को निर्यात संबंधी योजनाओं की मार्गदर्शिका/बुकलेट, ब्रोशर्स, फोल्डर, स्लीप पैड, पेन आदि का वितरण	12.000.00	कार्यक्रम की अवधि दो दिवस प्रत्येक कार्यक्रम की होगी ।. प्रति प्रशिक्षण में 30 प्रशिक्षणार्थी होंगे । प्रति **प्रशिक्षणार्थी 400/– रू0** का खर्चा समित होगा ।
2.	विषय विशेषज्ञों का मानदेय, लोजिंग एवं बोर्डिंग	20,000.00	अ. 8 विषय विशेषज्ञों की सेवायें ली जा सकती है । जोकि अलग–2 सेशन को संबोधित करेंगे । प्रति **प्रशिक्षणार्थी 667/–** रू0 का खर्चा होगा । ब. प्रति विषय विशेषज्ञ 1500/– रू0 तक प्रति विषय विशेषज्ञ मानदेय होगा । इस प्रकार कुल 12000/– रू0 का खर्चा लेक्चर पर होगा।

(9)

5

			। शेष 8000/– रू0 राशि इन 8 विशेषज्ञों के रेल्वे, बस से आने जाने, ठहरने टेक्सी के किराये इत्यादि से संबंधित है । **इस प्रकार औसतन 667/– रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्चा किया जा सकता है ।**
3.	प्रशिक्षण स्थल का आरक्षण/बुकिंग, उदघाटन, समापन, बैकड्रोप, आमन्त्रण पत्रों एवं प्रमाण पत्रों का मुद्रण व वितरण एवं सेलिब्रिटीज पर व्यय	13,000.00	**इस मद में 267/– रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी** का खर्चा किया जा सकता है ।
4.	प्रशिक्षण के दौरान जलपान एवं लंच (2 दिवस) पर व्यय	20,000.00	**प्रति प्रशिक्षणार्थी 667/– रू0 दो दिवस का लंच, दो दिवस में कुल चार समय की चाय पान पर** खर्च किया जा सकता है । इसमें विषय विशेषज्ञ एवं संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के चार अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण शामिल हो सकते है ।
6.	एजेन्सी चार्जेज/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण	10,000.00	प्रशिक्षण एजेन्सीं के माध्यम से कराया जा सकता है । प्रति

	आयोजन से संबंधित व्यय यथा – ट्रांस्पोर्टेशन, टेलीफोन, फैक्स एवं अन्य व्यय।		प्रशिक्षण 10 प्रतिशत अर्थात 7500/– रूपये एजेन्सी को देय होगा । शेष राशि 2500/– रू0 विविध खर्चों यथा टेलिफोन फेक्स, इ–मेल इत्यादि पर व्यय किया जा सकता है । । इस प्रकार **प्रति प्रशिक्षणार्थी 333/– रू0 तक का व्यय किया जा सकता है ।**
	कुल	75,000.00	

जिला स्तर पर भुगतान वास्तविक खर्चों के आधार पर निर्धारित बजट सीमा में किये जाऐं तथा एक मद की बचत को दूसरे मद में उपयोग नहीं किया जाएगा । जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा निर्यात क्षेत्र के विशेषज्ञों का चयन करने के उपरांत उपरोक्त मदों में निर्धारित बजट सीमा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे एवं भुगतान किया जा सकेगा।

5. प्रशिक्षण के विषयों का निर्धारण :–

निर्यात प्रोत्साहन, प्रकिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रशिक्षण के विषयों का निर्धारण महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अपने स्वयं के स्तर पर स्थानीय उद्यमियों की मांग एवं आवश्यकताओं के आधार पर निम्नलिखित विषयों में से कर सकेंगे :–

- Behavioral aspects for overseas market.
- Foreign Trade policy and export prospects with the special reference to focus products and focus market.

- Trade information system and services (also indicating steps to establish in-house trade information system.
- Institutional frame work for export promotion.
- Techniques of overseas marketing.
- Online data sources and website for export promotion.
- Steps for setting up and export business and procedures to be followed for exporters including familiarity with documentation involved in the process.
- How to export the local products & their future prospects.
- SEZ and EOU policies, performance and prospects.
- Techniques of participation in trade fairs, international as well as national with relevance to Rajasthani products.
- Export finance including services provided by the Export Import Bank and Export Credit Guarantee Corporation.
- Practical exercise on steps required for exporting a particular items and panel discussion to address specific queries from the participants.
- After completing of every training- 10 Minutes discussion.
- Question-Answer Session.
- Custom and excise rules.
- International trade laws under WTO.
- Business Treaties among various countries.

उपरोक्त पाठ्यक्रम में भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति एवं विश्व में विदेशी व्यापार के संबंध में हो रहे परिवर्तनों का भी समय–समय पर अपडेशन किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र 1 घंटे का होगा एवं प्रत्येक सत्र के अंत में 10 मिनट संभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हेतु निर्धारित होंगे । दो दिवसीय प्रशिक्षण

कार्यक्रम में कुल 11–12 सत्र होंगे। प्रशिक्षणार्थीयों से आवेदन पत्र प्राप्त करने का प्रारूप अनुलग्न 1 पर तथा प्रशिक्षणार्थीयों से प्रविष्ठियां आमंत्रित करने से संबंधित विज्ञप्ति का प्रारूप अनुलग्न 2 पर उपलब्ध है। ट्रेनिग शिड्यूल(मोडयूल) का प्रारूप अनुलग्न 3 पर उपलब्ध है।

6. एजेन्सी का चयनः–

प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अपने स्तर पर निर्यात क्षेत्र के विशेषज्ञों/एजेन्सी (राज्य अथवा केन्द्र सरकार के उपक्रमों/निजी संस्थाओं) का चयन करेंगे। निर्यात क्षेत्र के विशेषज्ञों का चयन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आयोजित किये जा सकेंगे।

7. भुगतान प्रकियाः–

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र निर्यात क्षेत्र के विशेषज्ञों/एजेन्सी के चयन के पश्चात् चयनित एजेन्सी को प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन के पश्चात् एजेन्सी से प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के संबंध में फीडबैक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरांत भुगतान कर सकेंगे।

8. एजेन्सी द्वारा लेखों का संधारण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रः–

निर्यात प्रोत्साहन, प्रकिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने वाली एजेन्सी को पृथक से लेखों का संधारण करना होगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा कार्यालय आयुक्त,उद्योग के अधिकारियों द्वारा एजेन्सी के लेखों का निरीक्षण भी किया जा सकेगा। एजेन्सी द्वारा प्रशिक्षण व्यय के संबंध में सीए द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(13)

अनुलग्न –1

आवेदन पत्र

(एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रोसिजर्स एवं डोक्यूमेंटेशन पर दो दिवसीय कार्यशाला)
दिनांक: / / स्थान———————————

1. इकाई का नाम व पता ....

2. टेलीफोन नम्बर ....

3. मोबाई नम्बर ....

4. फैक्स नम्बर ....

5. ई–मेल आईडी ....

6. इकाई की गत वित्तीय वर्ष में कुल बिकी
   (क) घरेलू बिकी ....
   (ख) निर्यात ....

7. *इकाई द्वारा नामांकित अभ्यार्थी का* विवरण
   (क) नाम ....
   (ख) पद ....

8. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता
   योग्यता बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम व वर्ष
   (क) ....
   (ख) ....

9. यदि इकाई को निर्यात का अनुभव है तो निम्न सूचना भरें:–
   (क) गत वित्तीय वर्ष में निर्यात बिकी ....
   (ख) किन–किन देशों को निर्यात किया जाता है। ....
   (ग) निर्यात किये गये उत्पादों का नाम ....

10. यदि इकाई निर्यात नहीं करती है तो निर्यात के लिए किये गये प्रयासों का विवरण –
....
....

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त सूचना सही है।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूर्ण नाम मय सील)

(15)

अनुलग्न –2

जिला उद्योग केन्द्र..........

क्रमांक: दिनांक:

जिला उद्योग केन्द्र............ द्वारा "एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रोसिजर्स एवं डोक्यूमेंटेशन" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक ....एवं ....को आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्यात क्षेत्र में प्रवेश के इच्छुक उद्यमी भाग ले सकते है।

इच्छुक उद्यमी आवेदन–पत्र जिला उद्योग केन्द्र......... से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर अपने आवेदन–पत्र दिनांक .... तक जिला उद्योग केन्द्र ....में जमा करा सकते है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन स्कीनिंग समिति द्वारा दिनांक .... को किया जायेगा।

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
....

नोट:– महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र यदि आवश्यक समझे, आवंटित बजट सीमा में विज्ञापन देकर प्रविष्टियां आमंत्रित कर सकते है । जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विज्ञापन में संशोधन महाप्रबन्धक स्तर पर किया जा सकता है।

(15)

अनुलग्न –3

Training Programmes on Export Promotion, Procedure & Documentation

PROGRAMME SCHEDULE (MODULE)

Day I

Inauguration Session 09.30 to 10.30 AM	Registration and Inauguration Inaugrual Session-Key Note Address by Celebrities.
10.30	Welcome Snacks & Tea
Session I 11.00 to 12.30	Concepts of International Trade, International Marketing, Behavrioral aspects for overseas market, Foreign Trade Policy, Export Performance and Export Prospects with special reference to focus Products and Focus Markets.
Session II 12.30 to 13.30	Foreign trade policy and export prospects with reference to focus products from Rajasthan
13.30 to 14.30	Lunch Break
Session III 14.30 to 15.15	Trade Information Systems and information Sources for Export Promotion and Estabilishing an in-house Trade Information System
Session IV 15.15 to 16.00	Institutional Framework for Export Promotion in India and abroad
16.00 to 16.30	Tea Break
Session V 16.30 to 17.15	On line data sources and website for export promotion
Session VI 17.15 to 18.00	Identification for Export Potential Products, Markets and Export Promotion Techniques

Note: This schedule is indicative. Topics/Subject can be changed subject to change in Foreign Trade Policy or on the demand of Association/ Candidate.

Day 2

Session IV 09.30 to 11.45 AM	Steps for setting up an export business and procedure including documentation(Setting up Export Business Step-up-Step)
11.45 to 12.00	Tea Break
Session VIII 12.00 to 12.30	SEZs and EOus Policies, Performance and Prospects.
Session IX 12.30 to 13.30	Technique of Participation in Trade Fairs in India and Abroad relevant to Rajasthan Products.
13.30 to 14.30	Lunch Break
Session X 14.30 to 15.30	Export Incentives and Facilities Available to Exporters under Various Schemes, Export Finance, Exim Bank and ECGC
Session XI 15.15 to 16.45	Practical Exercise for exporting a particular item and panel Discussion to address specific queries from the participants.
16.45to 17.00	Tea Break
Validictory Session 17.00 to 17.30	Feedback from Participants and Distribution of Certificates

Note: This schedule is indicative. Topics/Subject can be changed subject to change in Foreign Trade Policy or on the demand of Association/ Candidate.

राजस्थान–सरकार
उद्योग(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकः प01(5)उद्योग / 2 / 2011 जयपुर, दिनांकः 01/09/2017

–: आदेश :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.11.2011 के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया तथा दस्तावेजीकरण योजना 5 वर्षों के लिए अर्थात् 31.03.2017 तक के लिए जारी की गयी थी।

अब इस योजना की समयावधि में 3 वित्तीय वर्ष अर्थात् 31.03.2020 तक वृद्धि किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति की जाती है तथा आदेश दिनांक 25.11.2011 के द्वारा जारी योजना के पैरा 4 के आगे निम्नानुसार अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाता है:

" वित्तीय वर्ष 17–18 से पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी योजना के लिये बजट आवंटन जारी किये जाने के संबंध में 1–5 मदों में उल्लेखित मद में 10 प्रतिशत तक की राशि का एक मद में बचत होने पर अन्य मद में प्रयोग का अधिकार आयुक्त उद्योग अथवा संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को होगा। 10 प्रतिशत से अधिक एवं क्रियान्वयन एजेन्सी के प्रस्ताव तथा क्षेत्र की मांग के अनुरूप मद में परिवर्तन आयुक्त उद्योग एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा "

उक्त आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग द्वारा आईडी सं. 101704011 दिनांक 27.07.2017 पर प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, आयोजना विभाग।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार; कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
9. उद्योग (पी.पी.सी) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

Scanned by CamScanner